न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 19 / 2019
दायर दिनांक : 01 / 07 / 2019
निर्णय दिनांक : 18 / 11 / 2025

उनवान

1 मांगीलाल पिता हीरालाल भील निवासी बडवाई तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 हरलाल पिता देवा मीणा निवासी मूरला तहसील भूपालसागर
2 रामलाल पिता हरलाल मीणा निवासी मूरला तहसील भूपालसागर
3 ख्यालीलाल पिता हरलाल मीणा निवासी मूरला तहसील भूपालसागर
4 शंकरलाल पिता हरलाल मीणा निवासी मूरला तहसील भूपालसागर
5 भैरूलाल पिता हरलाल मीणा निवासी मूरला तहसील भूपालसागर
6 मंगीलाल पिता चमना मीणा निवासी मूरला तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री लक्ष्मीशंकर जाट, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिकी होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। पटवार हल्का मूरला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या के आ0न0 912 रकबा 0.27 है0 आ0न0 913 रकबा 0.13 है0 आ0न0 914 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है0 स्थित है उक्त आराजियात मुझ प्रार्थी के खातेदारी में से एक होकर एक खातेदार हू। खरीद दिनांक से मेरा कब्जा होकर काश्त कर रहा हू। दिनांक 22.06.2019 को अप्रार्थीगण हमसलाह होकर अनाधिकृत रूप से जबरन मेरी खातेदारी आराजियात में प्रवेश हुए तथा मेरे खेत में ग्वार की फसल बो रखी थी जो अंकुरित होकर उग चुकी थी इसको उपरोक्त अप्रार्थीगण द्वारा टेक्टर ले जाकर फसल को हांक दिया व फसल खत्म कर दी जिसका मुकदमा आकोला थाने मे भी दर्ज कराया है तथा अप्रार्थीगण आए दिन मुझे खेत पर आने पर धमकिया देते है अप्रार्थीगण दादागिरी के दम पर मुझे बेदखल करना चाहते है तथा मेरी आराजियात हडपना चाहते है जबकि अप्रार्थीगणों का उक्त आराजियात से कोई लेना देना नही है वेबजह मेरे उपयोग में बाधा पहुंचा रहे है अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि मुझ प्रार्थी के खातेदारी आराजियात में प्रवेश कर नुकसान कारित नही करे अगर इनको पाबंद नही किया गया तो मुझ प्रार्थी को अपार नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मुझ प्रार्थी के पक्ष में होकर सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष मे है और अप्रार्थीगण को पाबंद नही करने पर अपार क्षति मुझ प्रार्थी को होने की संभावना है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने से उन्हे कोई नुकसान नही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री राजकुमार लढढा ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया जवाब में अकित किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 का जवाब इस प्र[illegible] करना स्वीकार है अन्य तथ्य गलत होने से स्वीकार नही है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद आ[illegible]ने से व कब्जे के अभाव मे चलने योग्य नही होकर निरस्त किए जाने योग्[illegible] जवाब इस प्रकार है कि मौजा मूरला में आराजी खसरा न0 912, 913, 91[illegible] आराजियात पर प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड में जमीन आराजियात के पूर्व खातेदार बाबरू से अन्य लोगो के बहकावे में आकर अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा ली है जमीन पर प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई कब्जा सुपुर्द नही किया है एवं विक्रय प्रतिफल राशि भी प्रार्थी ने विक्रेता बाबरू को अदा नही की है। प्रार्थी ने आराजियात के पूर्व खातेदार बाबरू से दिनांक 14.05.2018 को एक बौग्स विक्रय पत्र अपने नाम पर निष्पादन करा उप पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत करवा जमीन राजस्व रेकार्ड में अपने नाम करवा ली। विक्रय पत्र में साख देने वाले व्यक्ति चांदमल जाट निवासी कंवरपुरा की जमीन पास में स्थित है जो जमीन वादग्रस्त से सटता है उक्त चांदमल जाट की जमीन पर आने जाने का कोई रास्ता नही होने से एवं आसपास सारी जमीन अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम पर होने से उक्त चांदमल जाट जो गांव मूरला का पूर्व में सरपंच रहा उसने आराजियात के पूर्व खातेदार बबरू जी का बहला फुसला कर एक बीघा भूमि क्रय करने का बहाना बना बाबरू जी के कम दिखने एवं कम सुनने का फायदा उठा उनकी तीन बीघा भूमि का विक्रय पत्र प्रार्थी जो चांदमल जाट के विश्वास का व्यक्ति है उसके नाम पर निष्पादित करवा लिया। जब कि केता मांगीलाल भील की कोई जमीन गांव मूरला व दरीबा में स्थित नही है एवं खातेदार मांगीलाल गांव बडवई का निवासी होकर वही पर निवास करता है विक्रय प्रतिफल की कोई राशि भी बाबरू जी को नही दी गई एवं बाबरू जी को उनकी पत्नि के नाम पर एफ डी कराने को बोला जो भी नही कराई इस प्रकार प्रार्थी मांगीलाल व विक्रय पत्र पर साख देने वाले चांदमल जाट निवासी कंवरपुरा व उसी का मिलने वाला लक्ष्मण मीणा निवासी दरीबा द्वारा साख दिलवा कर खातेदार बाबरू के साथ धोखाधडी की है इस कारण ही जमीन तीन बीघा पर बाबरू ने किसी प्रकार का कोई कब्जा खातेदार मांगीलाल भील को सुपुर्द नही किया जमीन वादग्रस्त पर आज भी कब्जा हम अप्रार्थीगण का ही होकर हमारे मवेशी चरते है एव बारिश के मौसम मे जो भी काश्त की जाती है हम अप्रार्थीगण ही काटते है। कालम संख्या 3 गलत होने से स्वीकार नही है आराजियात वादग्रस्त पर किसी प्रकार को कोई कब्जा प्रार्थी का नही है प्रार्थी चांदमल जाट निवासी कंवरपुरा पूर्व सरपंच जिसने विक्रय पत्र साख दी उसके उसके बहकावे में है एवं उक्त चांदमल जाट अपने सरंपच पद का नाजायज फायदा उठा पुलिस को भी अपने प्रभाव में लेकर हम अप्रार्थीगण गरीब व्यक्तियों को पुलिस का भय बात जमीन पर कब्जा करना चाहता है जब प्रार्थी का किसी प्रकार कोई कब्जा ही नही है एवं न कब्जा बाबरू जी ने सुपुर्द ही किया तो बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा ही नही हेाता हैप्रार्थी ने दिनांक 22.06.2019 को ग्वार की फसल खराब करने वाली बात भी मन मकसूद अंकित की है प्रार्थी द्वारा आज दिन तक जमीन वादग्रस्त में किसी प्रकार की कोई काश्त नही की गई। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है एवं न ही प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार की सुविधा संतुलन अपूरणी क्षति ही बनती है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति नही हेागी । विक्रय पत्र को देखने व पढने से ही स्पष्ट है कि विक्रय पत्र में विक्रय की जाने वाली भूमि के कोई पडोस भी अंकित नही कर रखे है मामला प्रथम दृष्टया भी प्रार्थी साबित कराने में असफल रहा है मात्र जमीन खातेदारी में दर्ज हो जाने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी को जमीन वादग्रस्त पर अपना कब्जा भी साबित कराना पडेगा। शपथ पत्र प्रार्थी ने झूठा प्रस्तुत किया है। जवाब की ताईद में अप्रार्थी शंकर का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमावन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:04 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर